यू० एस० ए० में हमारे जो जहाज चल रहे हैं, उनकी कम्पीटीटिव स्थिति में सुधार हुआ है। मैंने यह पूछा था कि हमारी जो सेवा यू० एस० ए० में चलती है, क्या उसमें लाभ होना शुरू हो गया है, यदि नहीं, तो दूसरी सेवाओं के मुकाबले में कितनी हानि हो रही है।

श्री कानूनगो : (ख) के उत्तर में कहा गया है कि छः सर्विसें चल रही हैं। एक को छोड़ कर सभी रूट्स पर नफा हो रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने यू० एस० का पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है कि भारत इण्डोनेशिया वाली सर्विस को छोड़ कर बाकी सब मुनाफा दे रही हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने तुलनात्मक आंकड़े पूछे हैं। इंग्लैण्ड, अमरीका को हमारी सर्विस तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा आमदनी दे रही है या कम ?

श्री कानूनगो : इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। रूट अलग हैं। सफर लम्बा है। लेकिन हमारी सर्विस जो है, उसमें हमको नफा होता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : पांच सुपरसौनिक एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। एक और अभी आने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि किन किन देशों से ये खरीदे जा रहे हैं और इनका मूल्य क्या है ?

श्री कानूनगो : बोइंग खरीदे जाते हैं और अमरीका से खरीदे जाते हैं। कीमत नहीं बता सकता हूं।

Shri S. C. Samanta: May I know how many routes were surveyed last year and how many of them were experimented?

Shri Kanungo: Last year, the only route which had been taken up is Delhi-London via Moscow and one more frequency on the U.S.A. route and the new route that had been opened last year was that of Fiji. Surveys are always conducted and there are plans for expansion. But that will depend upon the availability of aircraft and traffic prospects.

श्री यशपाल सिंह: इण्डोनेशिया के मार्ग पर जो घाटा हो रहा है, उस घाटे को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कानूनगो : सरकार कुछ नहीं कर सकती है इस बारे में।

There have been unsettled conditions in South-East Asia. Therefore, the traffic is not forthcoming.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के बीच विवाद

+

*202. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुधांशु दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री हेमराज :
श्री मानसिंह पु० पटेल :
श्री विभूति मिश्र :

श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हे० बी० कौजलगी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या विधि मन्त्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल के बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने गत जनवरी में बम्बई में हुए विधान-मण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा पारित किया गया संकल्प भी देखा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) to (c). The Government has not come to any decision yet. The Minister for Parliamentary Affairs is having consultations with representatives of the various groups in Parliament with a view to arriving at an agreed decision on the matter. The Government is aware of the resolution passed by the Conference of Presiding Officers of Legislatures held at Bombay and it will be taken into consideration.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संसद् के पिछले अधिवेशन में जब इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ था तो संसद् कार्य मंत्री ने निर्णय घोषित करते हुए यह कहा था कि विधान मंडलों के अध्यक्षकों का एक सम्मेलन होने वाला है, उसके बाद सरकार किसी निर्णय पर पहुंचेगी विधान मंडलों के अध्यक्षों का सम्मेलन हो चुका है और उन्होंने भी अपना निर्णय दे दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को अब निर्णय लेने में क्या कठिनाई हो रही है और कब तक वह इस मामले में कोई निर्णय ले लेगी ?

संसार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आप लोगों की राय भी जाननी होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि जो प्रिजाइडिंग आफिसर्स थे उनकी राय तो आ गई लेकिन आप की वे लेना चाहते है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विधान मंडलों के अध्यक्षों का जो सम्मेलन बम्बई में हुआ था और उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसके सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

Shri Jaganatha Rao: The reaction should be slow. This is a very difficult and delicate question. We have to proceed with care and caution.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तो कोई अर्थ न हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इस का मतलब यह हुआ कि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और उनकी अभी तक अपनी कोई राय नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसका मतलब यह भी हुआ कि सरकार किसी दबाव में ऐसी दबी हुई है कि कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रही है ।

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : हाउस की राय है ।

श्री भागवत झा आजाद : हाउस की राय स्पष्ट है ।

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that according to the Law Minister and other eminent jurists who have expressed their opinion, there is no conflict between the pronouncement of the Supreme Court and the function of the Legislature and that any attempt to amend the Constitution will be an erosion in the fundamental rights of the people? I would like to know whether Government have taken this into account and whether they have taken a decision not to amend the Constitution.

Mr. Speaker: Government say that they have not taken any decision. But Shri Banerjee wants them to say whether they have taken a decision not to amend the Constitution. Not to amend the Constitution also would mean taking a decision.

Shri S. M. Banerjee: My submission is that after the Presiding Officers' Conference . . .

Mr. Speaker: I have followed the hon. Member all right. He had asked whether in view of the opinion expressed, Government had taken a decision not to amend the Constitution.

Shri S. M. Banerjee: Because my information is that Government have been influenced by . .

Mr. Speaker: Government say that they have not taken any decision, and when they say so, I have to uccept it that they have not taken any decision.

Shri S. M. Banerjee: Or Government will not take any decision?

Dr. L. M. Singhvi: In what way and by what date do Government propose to consult the Members of Parliament further in this matter of amending the Constitution in response to the call given by the Presiding Officers' Conference at Bombay?

Shri S. M. Banerjee: That is unnecessary.

Shri Jaganatha Rao: This question has many facets. We have to arrive at an area of agreement between the legislature and the judiciary. Whatever decisions we may arrive at, we should look to the dignity of the legislatures, the independence and jurisdiction of the judiciary and the liberty of the individual. Therefore, we should go slow in the matter. I may add . . .

श्री म० ला० द्विवेदी : एक प्वाइंट आफ आर्डर है .... *(Interruptions.)*

Mr. Speaker: Government want to go slow. So, the Members should not move faster.

Dr. L. M. Singhvi: On a point of order. The answer given by the Deputy Minister is completely wide of the mark. I wanted to know in what way and by what date it was proposed to consult the Members of Parliament further in this matter. I am not asking at what pace and at what speed Government propose to go.

Shri Satya Narayan Sinha: I had convened a meeting some time ago during the last session. That meeting has not concluded. I am thinking of invitin gthe Members again for a meeting. But apart from that, as you will remember, Shri Prakash Vir Shastri has said that hon. Members would like to have a discussion on the no-day-yet-named motion or something like that. In spite of the fact that the financial programme is heavy, I have agreed, on behalf of Government, that we shall find time for that discussion in the House.

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस सुस्त सरकार को यह मालूम है कि आज जब इस देश के कुछ न्यायधीशों ने अप्रत्यक्ष रूप में और वकील समाज ने प्रत्यक्ष रूप में विधान मंडलों को अपनी सबार्डिनेट कोर्टस बनाने का जो प्रचार जारी कर दिया है उसके खिलाफ जनता में विद्रोह है . . .

Shri S. M. Banerjee: He should withdraw that expression.

Mr. Speaker: Order, order. When we have the responsibility here to protect the rights of others, we should see that we rise to the occasion and there

is no complaint or grievance left in the mind of anybody. That is a delicate responsibility and we ought to prove ourselves worthy of that trust. Then alone we can claim all those privilleges. Therefore, I would appeal to the hon. Members . . .

Shri S. M. Banerjee: That is how the privilege is abused.

Mr. Speaker: Order, order.

श्री भागवत झा आजाद : जब वह बोलते हैं तो और भी बुरा बोलते हैं ?

Mr. Speaker: Let there not be any reflection on the judiciary.

श्री भागवत झा आजाद : खुद तो उलटा पुलटा बोलते हैं और दूसरों को भाषण देते हैं, तमाशा देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल कीजिये ।

श्री भागवत झा आजाद : इस देश के मुट्ठी भर एक संगठित वर्ग ने जो इस प्रकार का प्रतिपादन देश में शुरू किया है कि विधान मंडलों के अधिकार कम कर दिये जायें और सुप्रीम कोर्ट के बढ़ा दिये जायें, क्या सरकार को यह मालूम है कि इस संगठित प्रचार के प्रति इस देश की जनता में बहुत विद्रोह है और क्या यह भी मालूम है कि प्रिजाइडिंग आफिसर्स के सम्मेलन ने जो राय दी है उस राय का समर्थन आज सम्पूर्ण देश में हो रहा है ? अगर उनको यह मालूम है तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ?

Mr. Speaker: Order, order.

Shri S. M. Banerjee: I rise to a point of order . . .

Mr. Speaker: There can be difference of opinion. One might think that this is the correct view, while another might think that the contrary view is correct.

Shri Solanki: This is a national decision and not that of *'muttee-bhar log'*.

Shri Jaganatha Rao: This question has to be decided calmly and patiently. Passions and anger should not come into play. We are also awaiting the decision of the Allahabad High Court in the case of Keshav Singh. So, let us go slowly and cautiously and carefully. (*Interruptions.*)

Shri Bhagwat Jha Azad: Again a sermon.

श्री राम सेवक यादव : संविधान के जिन अनुच्छेदों में विशेषाधिकार का प्रश्न दिया हुआ है उसी को ले कर सारा झगड़ा चला, उन्हीं में यह भी लिखा हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो चीजें हैं वह लागू होंगी । तो क्या यह भारतीय संविधान के प्रति अनादर नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस के लिए संशोधन किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो कई दफे उठ चुका है । इस का भी जिक्र है । अनादर है तो है नहीं है तो नहीं है । लेकिन यह सवाल इस वक्त नहीं उठाया जा सकता ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : व्यवस्था का प्रश्न पहले मैंने उठाया था, लेकिन वह रह गया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सवाल पर उठाया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने भी सवाल पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

Mr. Speaker: I can hear only one at a time, not two.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस विशेषाधिकार के प्रश्न को ले कर सारी चर्चा चल रही है और संविधान के संशोधन का भीप्रश्न है इस विशेषाधिकारों के प्रश्न को ले कर । जो हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार हैं उनका भी इस में जिक्र है । तो इस का उस से क्या सम्बन्ध है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां पूरे मंत्री की आवश्यकता होती

है । लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर पूरे मंत्री उपस्थित नहीं होते । क्या आप के पास कोई ऐसी सूचना है या क्या आप से कोई ऐसी आज्ञा मांगी गई है कि सम्बन्धित मंत्री इस समय यहां उपस्थित नहीं हो सकेंगे । इस सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जो व्यवस्था अभी मांगी गई है उस के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि जब मैंने यह कहा था कि शनिवार और इतवार को छुट्टियां रहेंगी और उन को कभी वर्किंग डेज नहीं रक्खा जायेगा तो उस का मतलब यही था कि जो मंत्री हैं वह शनिवार को बाहर जा सकते हैं लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक यहीं रहें, और इस दफा तो खास तौर से इतना ज्यादा वक्त था । अब की शनिवार को छुट्टी नहीं थी लेकिन उस वक्त भी गैर हाजिर हो सकते थे । बजट के वक्त वह ऐसा कर सकते थे । इस बारे में आखिरी फैसला तो मंत्रीमंडल का है और प्रधान मंत्री जो हैं यह उन का काम है, मगर मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो बाकी दिन हैं उन में यह शिकायत न हो कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं वह हाजिर नहीं हैं, जब तक कि कोई खास ऐसा जरूरी काम न हो, और इस बात के लिए ऐसी किया गया था, और मंत्रियों ने भी इस को माना था, जहां तक मुझे याद है । मुझे आशा है कि इस बारे में ज्यादा ध्यान रक्खा जायेगा ।

दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर श्री यादव ने उठाया है । लेकिन वह यहां नहीं उठता । अगर कोई अनादर की बात है भी तो मेरा कहना है कि यह सवाल क्वेश्चन अवर में नहीं उठाया जा सकता ।

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Now the question Hour is over. Calling Attention.

Shri S. M. Banerjee: I had asked long ago, when Shri Bhagwat Jha Azad was putting his question.

Mr. Speaker: Now he cannot raise.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Corporations to Develop Tourism

*203. **Shri Rameshwar Tantia:**
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri R. G. Dubey:
Shri Heda:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Daljit Singh:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri D. C. Sharma:
Shri Maheswar Naik:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shrimati Maimoona Sultan:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Union Government propose to set up two Corporations to develop tourism in the country;

(b) if so, when these are likely to be set up; and

(c) the extent to which the setting up of these corporations will help Government in increasing the number of tourists visiting India?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Government have already set up India Tourism Hotel Corporation with effect from 21st January, 1965. The other Corpo-